

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,  
अनुसचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/  
नोडल अधिकारी  
उ0प्र0, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 03 नवम्बर, 2016

विषय:- बिजनौर-नूरपुर-छजलैट मार्ग (एस0एच0-76) किमी0 6.725 से 42.725 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 27.23 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1249 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को पृष्ठांकित एवं आपको सम्बोधित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-8बी/यूपी/09/90/2016/एफसी/341, दिनांक 20-10-2016 के माध्यम से विषयगत प्रकरण में कुल 15 बिन्दुओं पर की गयी आपत्तियों सहित प्रस्ताव मूलरूप में वापस करते हुये उक्त आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव भारत सरकार वापस किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- अतएव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक 20-10-2016 के साथ मूल प्रस्ताव प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 20-10-2016 में उल्लिखित 15 बिन्दुओं पर की गयी आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- प्रस्ताव 02प्रतियां।

भवदीय,

  
(भूपेन्द्र बहादुर सिंह )  
अनुसचिव